म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रं./भा0भु0यो0/खरीफ/01/2019/4667 — भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर, 2019

प्रति

संयुक्त/उप संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय – .... (समस्त)

2. भारसाधक अधिकारी/सचिव
कृषि उपज मंडी समिति – ....
जिला – .... (समस्त)

विषय :– खरीफ–2019 में ई–उपार्जन पोर्टल पर मक्का, सोयाबीन, मूंग, उड़द, अरहर, मूंगफली, कपास, तिल, रामतिल के पंजीयन की कार्यवाही के संबंध में।

संदर्भ :– म.प्र. शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग का पत्र क्रमांक/बी–16–06/2019/14–2/4327 दिनांक 28.09.2019

संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। खरीफ–2019 में ई–उपार्जन पोर्टल पर मक्का, सोयाबीन, मूंग, उड़द, अरहर, मूंगफली, कपास, तिल, रामतिल के पंजीयन की कार्यवाही दिनांक 03 अक्टूबर, 2019 से दिनांक 23 अक्टूबर, 2019 तक किये जाने के निर्देश दिये गये है। इस संबंध में आवश्यक प्रचार–प्रसार/उदघोषणा मंडी प्रांगण में की जावें।

खरीफ 2019 में उपरोक्त अंकित फसलों की औसत मंडी दरें यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम रहने पर राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन/भावांतर/प्रोत्साहन राशि के संबंध में विधिवत् पृथक से निर्णय लिया जाकर विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किये जायेगें। समर्थन मूल्य पर उपार्जन/भावांतर/प्रोत्साहन राशि के संबंध में निर्णय लिया जायेगा, इसलिये मंडियों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जायें। संदर्भित पत्र एवं सह अभिलेख संलग्न है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(हस्ताक्षर) 15/X/19
(अशोक कुमार वर्मा)
प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
मुख्यालय, भोपाल

क्रं./भा0भु0यो0/खरीफ/01/2019/4668 — भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर, 2019

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, भोपाल।
3. कलेक्टर, जिला – .... (समस्त)।
4. अपर संचालक (नियमन) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय, भोपाल।

(हस्ताक्षर) 15/X/19
प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

Mbby 01 kharif 2019

Scanned by CamScanner

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक / बी–16–06 / 2019 / 14–2 /4327 भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर, 2019

प्रति,

कलेक्टर,
जिला – (समस्त) मध्यप्रदेश ।

विषयः– खरीफ –2019 में ई–उपार्जन पोर्टल पर 03 **अक्टूबर, 2019 से 23 अक्टूबर, 2019 तक** मक्का, सोयाबीन, मूंग, उड़द, अरहर, मूंगफली, कपास, तिल रामतिल के पंजीयन की कार्यवाही के संबंध में।

––

अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, म.प्र.शासन, की अध्यक्षता में प्राईस सपोर्ट स्कीम / पीडीपीएस योजनान्तर्गत खरीफ वर्ष 2019 में प्रदेश के किसानों से फसल उपज के पंजीयन के संबंध में आयोजित बैठक दिनांक 23 सितम्बर, 2019 में लिए गए निर्णय कम में निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं।

2/ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा धान, ज्वार, बाजरा के ई–उपार्जन पोर्टल पर पत्र कमांक एफ–5–5(1–1ख) / 2019 / 29–1 दिनांक 06 सितम्बर, 2019 को पंजीयन किए जाने के संबंध में विस्तृत परिपत्र जारी किया गया है, जो **परिशिष्ट–1** पर संलग्न है। किसान पंजीयन हेतु विगत वर्ष के समान पंजीयन केन्द्र रखें जा सकते है।

3/ उपरोक्तानुक्रम में लेख है कि निम्न फसलों के www.mpeuparjan.nic.in ई–उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन की व्यवस्था, पंजीयन केन्द्रों के निर्धारण, पंजीयन केन्द्रों पर भौतिक एवं मानव संसाधनों की व्यवस्था, कृषकों के पंजीयन एवं सत्यापन की प्रकिया, प्रचार–प्रसार एवं प्रशिक्षण तथा वित्तीय व्यवस्था उपरोक्तानुसार उल्लेखित खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के परिशिष्ट में संलग्न परिपत्र दिनांक 06 सितम्बर, 2019 अनुसार दिनांक 03 अक्टूबर, 2019 से 23 अक्टूबर, 2019 तक किया जाए:–

1. **सोयाबीन** (समस्त जिलों में)
2. **अरहर** (समस्त जिलों में)
3. **उड़द** (समस्त जिलों में)
4. **कपास** (9 जिलों में यथा खरगोन, धार, बड़वानी, खण्डवा, छिंदवाडा, बुरहानपुर रतलाम, अलीराजपुर एवं झाबुआ)
5. **मूंग** (34 जिलों में यथा जबलपुर, सीहोर, रीवा, आगर मालवा, दमोह, सतना, विदिशा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, धार, खरगौन, भिण्ड, छिन्दवाड़ा, बड़वानी, रतलाम, शिवपुरी, छतरपुर, टीकमगढ़, सीधी, खण्डवा, गुना, सागर, रायसेन, भोपाल, दतिया, श्योपुरकलां, राजगढ़, मंदसौर, पन्ना, मुरैना, हरदा, बुरहानपुर, उज्जैन एवं अशोकनगर।)

Scanned by CamScanner

6.मूंगफली (20 जिलों में यथा शिवपुरी, टीकमगढ़, छिंदवाडा, अलीराजपुर, बड़वानी, छतरपुर, नीमच, बैतूल, दतिया, सिवनी, झाबुआ, खरगोन, खण्डवा, धार, मंदसौर, दमोह, सागर, शहडोल, आगर मालवा एवं राजगढ़।)

7.तिल (30 जिलों में यथा छतरपुर, दतिया, भिण्ड, पन्ना, टीकमगढ, ग्वालियर, सिंगरौली, मुरैना, श्योपुरकला, सीधी, शिवपुरी, सतना, शहडोल, कटनी, राजगढ, रीवा, उमरिया, सिवनी, छिंदवाडा, दमोह, बालाघाट, गुना, अनुपपूर, मंदसौर, मंडला, खण्डवा, सागर, जबलपुर, नीमच एवं बैतूल)

8.रामतिल (13 जिलों में यथा छिंदवाडा, डिण्डौरी, शिवपुरी, अनुपपूर, सिवनी, ग्वालियर, खरगोन, मंडला, सिंगरौली, सतना, शहडोल, अशोकनगर एवं श्योपुरकलां)

9. मक्का (समस्त जिलों में)

खरीफ–2019 में उपरोक्त अंकित फसलों की औसत मंडी दरें यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे आएगी तो राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन/भावांतर/प्रोत्साहन राशि के संबंध में विधिवत पृथक से निर्णय लिया जाकर इस बाबत विस्तृत निर्देश तदुपरांत पृथक से जारी किऐ जायेंगे।

कृपया उक्तानुक्रम में विधिवत कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(अजीत केसरी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
विभाग

पृ. कमांक/ बी–16–06/2019/14–2 /4328 भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर, 2019

प्रतिलिपि –

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. विशेष सहायक, माननीय राज्य मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास की ओर सूचनार्थ।
4. विशेष सहायक, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, भोपाल।
5. सचिव, भारत सरकार, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली कृषि विकास की ओर सूचनार्थ।
6. अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त मंत्रालय भोपाल।
7. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन (वित्त), मंत्रालय, भोपाल।
8. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. श्री अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
10. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल को मार्गदर्शी निर्देश जारी किए जाने हेतु प्रेषित ।
11. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खादय, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक निर्देश जारी किए जाने तथा ई–उपार्जन पर आवश्यक व्यवस्था हेतु प्रेषित।
12. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उदयानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, भोपाल।

Scanned by CamScanner

13. प्रमुख सचिव, समन्वय मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
14. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन जनसंपर्क विभाग, भोपाल को योजना के प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित ।
15. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, भोपाल ।
16. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
17. आयुक्त सह पंजीयक, म.प्र. भोपाल।
18. आयुक्त, भू–अभिलेख, ग्वालियर, म.प्र.।
19. आयुक्त (संस्थागत वित्त) म.प्र. भोपाल।
20. आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भोपाल को उपरोक्त अनुक्रम में आवश्यक निर्देश जारी किये जाना तथा कार्यवाही हेतु प्रेषित।
21. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल।
22. समस्त संभागायुक्त, म.प्र.।
23. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, संचालनालय, भोपाल।
24. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल ।
25. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ, भोपाल।
26. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल ।
27. प्रबंध संचालक, म.प्र. वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन, भोपाल।
28. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक), भोपाल।
29. मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन मध्यप्रदेश।
30. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, भोपाल।
31. एस.आई.ओ. (राष्ट्रीय सूचना केन्द्र–एन.आई.सी.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित तथा उक्तानुसार पोर्टल पर पंजीयन व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
32. समस्त संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास संभाग कार्यालय।
33. समस्त उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला कार्यालय।
34. समस्त परियोजना संचालक, आत्मा, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला कार्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
35. समस्त जिला आपूर्ति नियंत्रक/जिला आपूर्ति अधिकारी, मध्यप्रदेश।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट-1

निर्देश क्रमांक - 1

मध्यप्रदेश शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय

क्रमांक एफ 5-5(1-1ख)/2019/29-1 भोपाल, दिनांक 06 सितम्बर, 2019

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषय- खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 समर्थन मूल्य पर धान एवं मोटे अनाज (ज्वार एवं बाजरा) के उपार्जन हेतु किसान पंजीयन की प्रक्रिया का निर्धारण।

-----

1. प्रदेश में केन्द्र शासन की "विकेन्द्रीयकृत उपार्जन योजना" अंतर्गत खरीफ मौसम में समर्थन मूल्य पर धान एवं मोटे अनाज की खरीदी की जाती रही है, जिस हेतु कृषकों का पंजीयन किया जाता रहा है।

   1.1 खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर FAQ गुणवत्ता की निम्न कृषि उपजों का उपार्जन किया जाना है-

(रू./प्रति क्विंटल)

फसल	धान कॉमन	धान ग्रेड-ए	ज्वार	बाजरा
न्यूनतम समर्थन मूल्य	1815	1835	2550	2000

   1.2 विगत रबी एवं खरीफ की भांति इस वर्ष भी किसान पंजीयन को भू-अभिलेख के डाटाबेस आधारित किया जाएगा। किसान की भूमि एवं फसल के बोए गए रकबे की जानकारी गिरदावरी डाटाबेस से ली जाएगी, जिससे पुनः सत्यापन की आवश्यकता नहीं रहेगी। संयुक्त खातेदार कृषक को अनुपातिक रकबे अनुसार पृथक पृथक पंजीयन कराने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

   1.3 कलेक्टर द्वारा गिरदावरी में दर्ज फसल के रकबे का सत्यापन रेण्डम आधार पर कराकर रिपोर्ट विभाग को प्रेषित की जावेगी।

   1.4 इस वर्ष पंजीयन के तकनीकी साधनों को विस्तारित किया गया है, जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन एवं वेब एप्लीकेशन दोनों सम्मिलित हैं। कृषक स्वयं भी पंजीयन कर सकते हैं।

   1.5 चूंकि पंजीयन व्यवस्था में आंशिक संशोधन है, इस हेतु प्रत्येक स्तर पर Orientation, प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण की सघन आवश्यकता होगी। कृषकगण पंजीयन निर्धारित समय से करा लें, इस हेतु पंचायतों, ग्रामसभाओं, प्राथमिकता सहकारी संस्थाओं, SMS के माध्यम से भी आवश्यक सूचनाओं का संचार किया जाना आवश्यक होगा। प्रभावी सूचना संचार हेतु निम्न का ध्यान रखा जाए:-

   i. प्रभावी सामग्री पूर्व से तैयार की जाए;
   ii. समस्त स्टेक होल्डर का प्रशिक्षण करने वाले मास्टर ट्रेनर्स का उन्मुखीकरण किया जाए;
   iii. राज्य स्तर से एक orientation वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कर लिया जाए;
   iv. मोबाइल एप के उपयोग करने हेतु इंटरनेट पर वीडियो के माध्यम से भी सूचना दी जाए।

   1.6 किसान पंजीयन हेतु उत्तरदायित्व एवं समय सीमा परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

2. **पंजीयन की अवधि-**

   2.1 किसान पंजीयन दिनांक 16 सितम्बर से 16 अक्टूबर, 2019 तक किया जाएगा।

   2.2 उपार्जन केन्द्रों पर प्रातः 8 से सायंकाल 8 बजे तक शासकीय कार्य दिवसों में पंजीयन किया जाएगा।

3. **पंजीयन के साधन-**

   3.1 कृषकों को अधिक सशक्त करने, संस्थाओं, डाटा एन्ट्री आपरेटर पर निर्भरता तथा पंजीयन केन्द्रों पर कार्य के दबाव को कम करने के लिए भू स्वामियों को पंजीयन के निम्न विकल्प उपलब्ध होंगे:-

Scanned by CamScanner

- एमपी किसान एप;
- ई-उपार्जन मोबाइल एप;
- पब्लिक डोमेन में ई-उपार्जन पोर्टल पर।
- विगत वर्ष के खरीफ उपार्जन केन्द्रों पर।

3.2 उपरोक्त पंजीयन साधनों का उपयोग कृषकों द्वारा व्यक्तिगत मोबाइल एवं कम्प्यूटर के अतिरिक्त व्यक्तिगत अथवा बाह्य स्थानों से भी किया जा सकेगा। साथ ही, पंजीयन केन्द्र login से भू स्वामी, सिकमी कृषक एवं वन पट्टाधारी किसानों का पंजीयन किया जा सकेगा।

3.3 प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्थाऐं (जिनके द्वारा विगत वर्ष धान एवं मोटे अनाज का उपार्जन किया गया है) के द्वारा पंजीयन किया जा सकेगा। पंजीयन केन्द्र login से भू स्वामी, सिकमी, कृषक एवं वन पट्टाधारी का पंजीयन किया जा सकेगा। आशय यह है कि सिकमी कृषक एवं वन पट्टाधारी का पंजीयन मात्र पंजीयन केन्द्र पर ही हो सकेगा।

3.4 पंजीयन हेतु वही संस्थाऐं पात्र होगी जिनके द्वारा गत खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में धान एवं मोटे अनाज का उपार्जन का कार्य किया गया हो। इन संस्थाओं को ई-उपार्जन पोर्टल पर NIC द्वारा पंजीयन केन्द्र निर्धारण हेतु DSO login में प्रदर्शित कराया जाएगा, जिसमें संस्था के प्रबंधक, बैंक खाते, कम्प्यूटर आपरेटर आदि का विवरण जिला उपार्जन समिति के अनुमोदन उपरांत DSC/DSO द्वारा अपने login से प्रविष्ट करेंगे।

4. उपार्जन हेतु आवश्यक दस्तावेज-

4.1 निम्नलिखित दस्तावेज किसान को उपनी उपज विक्रय के समय उपार्जन केन्द्र पर लाना होगा, इसकी जानकारी किसान पंजीयन पर्ची के प्रिन्ट आउट में अभिलिखित करते हुए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए:-

v. आधार कार्ड की प्रति;
vi. बैंक पासबुक की प्रति;
vii. समग्र सदस्य आईडी की प्रति (न होने की दशा में PAN CARD की प्रति)
viii. वनाधिकार पट्टाधारी को पट्टे की प्रति
ix. सिकमीदार किसानों को सिकमी अनुबंध की प्रति;
x. किसान पंजीयन पर्ची का हस्ताक्षरित प्रिन्ट आउट;

4.2 प्रत्येक पंजीयन डाटा का उपार्जन के समय कृषक तौल पर्ची जारी होने से पूर्व केन्द्र प्रभारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा, जिसकी व्यवस्था ई उपार्जन पोर्टल में NIC द्वारा बनाई जाएगी।

4.3 विगत खरीफ एवं रबी विपणन मौसम में जिन किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न विक्रय करने हेतु ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन कराया गया था एवं जिनके द्वारा अपनी मूलभूत (किसान का नाम एवं भूमि का खसरा/सर्वे/मोबाइल नम्बर/बैंक खाता) जानकारी में कोई परिवर्तन नहीं चाहा गया है, ऐसे किसानों को इस वर्ष खरीफ विपणन में पंजीयन दस्तावेज एवं आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है किन्तु ऐसे किसानों को गत वर्ष के पंजीयन के डाटा के आधार पर समर्थन मूल्य पर धान एवं मोटा अनाज विक्रय हेतु पंजीयन कराना आवश्यक होगा।

4.4 किसान के विगत वर्ष के पंजीयन में उल्लेखित आधार नंबर, बैंक खाता, मोबाइल नंबर में किसी प्रकार के परिवर्तन, संशोधन की आवश्यकता होने पर संबंधित दस्तावेज प्रमाण स्वरूप (जिनको देख कर पंजीयन में दर्ज डाटा का सत्यापन किया जा सके) पंजीयन केन्द्र पर लाना होंगे। किसान पंजीयन में बैंक खाता में संशोधन एवं नवीन खाते की प्रविष्टि की कार्यवाही OTP आधारित e-authentication प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकेगा।

4.5 किसान से उपज का विक्रय करने की संभावित मात्रा एवं विक्रय की 3 दिनांक प्राप्त की जाएगी, जिसे पंजीयन के समय दर्ज किया जाएगा।

Scanned by CamScanner

4.6 किसानों को भुगतान JIT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में किया जाना है। इस कारण किसान पंजीयन में केवल राष्ट्रीयकृत एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखाओं के एकल खाते ही मान्य होंगे। जनधन, ऋण, नाबालिग, बन्द एवं अस्थायी रूप से रोके गए खाते (विगत 6 माह से क्रियाशील नहीं हो) आदि पंजीयन में मान्य नहीं होंगे। इस संबंध में पंजीयन करने वाल आपरेटर द्वारा किसान को पंजीयन के समय अवगत कराया जाएगा तथा इस आशय की सूचना भी पंजीयन केन्द्र पर प्रदर्शित की जाएगी। साथ ही इसका व्यापक प्रचार, प्रसार किया जाए। पंजीयन में दर्ज बैंक खाते व IFSC का मिलान, किसान के नाम से NPCI के माध्यम से किया जाएगा।

5. पंजीयन की प्रक्रिया-

5.1 विगत वर्ष के पंजीकृत किसानों हेतु-

i. ई उपार्जन पोर्टल एवं एमपी किसान एप पर खरीफ विपणन वर्ष 2019 के अंतर्गत पंजीयन मास्टर पर दो विकल्प उपलब्ध होंगे यथा विगत वर्ष के पंजीकृत किसान एवं नवीन किसान पंजीयन।

ii. पूर्व वर्ष के पंजीकृत किसान के विकल्प पर क्लिक करने के उपरांत निम्न विकल्प प्रदर्शित होंगे।

- मोबाईल नंबर;
- समग्र सदस्य आईडी,
- विगत खरीफ मौसम के किसान पंजीयन कोड।

उक्त में से कोई भी एक विवरण दर्ज करने पर किसान का का नाम, भूमि का विवरण, बोई गई फसल, बैंक खाता, आधार नंबर एवं मोबाइल नंबर स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा।

iii. किसान का नाम, बैंक खाता, मोबाईल नंबर की जानकारी विगत वर्ष के ई उपार्जन किसान पंजीयन डाटा से तथा भूमि का रकबा एवं बोई गई फसल का विवरण इस वर्ष की गिरदावरी से लिया जाएगा।

iv. उक्तानुसार किसान की जानकारी कम्प्यूटर स्क्रीन पर अथवा एप की दशा में मोबाईल की स्क्रीन पर पंजीयन के समय प्रदर्शित होगी, जिसे किसान द्वारा भी देखा जा सकेगा, जिसमें उन्हें उपज विक्रय करने की अधिकतम 3 दिनांक तथा संभावित विक्रय मात्रा को अंकित करना होगा।

v. पंजीयन की सूचना किसान को SMS एवं ई उपार्जन पोर्टल से प्रिन्ट आउट निकाल कर प्राप्त की जा सकेगी।

5.2 नवीन किसानों हेतु-

I. नवीन किसानों का पंजीयन, मोबाईल एप एवं वेब एप्लीकेशन में दी गई प्रक्रिया अनुसार भरनी होगी।

II. किसान का नाम, बैंक खाता, IFSC, शाखा का नाम, मोबाईल नंबर, फसल विक्रय हेतु 3 दिनांक, विक्रय योग्य मात्रा की जानकारी प्रविष्ट करनी होगी।

III. किसान की भूमि का रकबा एवं फसल का विवरण गिरदावरी से लिया जाएगा।

5.3 एमपी किसान एप एवं ई उपार्जन मोबाईल एप पर पंजीयन

i. एमपी किसान एप एवं ई उपार्जन पंजीयन एप को ई उपार्जन एन्ड्रायड बेस्ड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा।

ii. एप डाउनलोड होने के उपरांत किसान पंजीयन हेतु सर्वप्रथम ग्राम एवं खसरा का चयन करना होगा।

iii. खसरे में उल्लेखित रकबा एवं फसल से सहमत होने पर किसान के आधार नंबर से OTP आधारित सत्यापन किया जाएगा तथा किसान का मोबाइल, आधार नंबर एवं बैंक खाता नंबर की प्रविष्टि की जाएगी।

Scanned by CamScanner

5.4 उक्त प्रविष्टियों के उपरांत किसान एप के Data-Custodian राजस्व विभाग द्वारा वेब सर्विस के माध्यम से ई उपार्जन में डाटा प्रेषित किया जाएगा जिसे real time monitoring की व्यवस्था हो सके।

5.5 समग्र सदस्य आईडी किसान का पंजीयन यूनिक आईडी होगी। इस वर्ष खरीफ विपणन मौसम में किसान पंजीयन कोड, समग्र सदस्य आईडी होगी, जो भविष्य के पंजीयन में भी उपयोग की जा सकेगी।

5.6 किसान की भूमि एवं बोए गई फसल की प्रविष्टि राजस्व विभाग द्वारा गिरदावरी में की जाती है। गिरदावरी से किसान को किसी प्रकार की आपत्ति होने पर गिरदावरी में ही दावा-आपत्ति कर त्रुटि सुधार का प्रावधान राजस्व विभाग द्वारा किया गया है। पंजीयन के समय भूमि के रकबे एवं फसल के सत्यापन से सहमत होने पर ही पंजीयन मान्य किया जाएगा। पंजीयन की पुष्टि OTP से की जावेगी, जिसकी दावा आपत्ति प्राप्त नहीं की जाएगी।

6. <u>वन पट्टाधारी कृषकों का सत्यापन-</u>

वनाधिकार पट्टाधारी किसानों के रकबे एवं बोई गई फसल का सत्यापन संचालनालयीन पत्र क्र. 2046 दिनांक 11.03.2019 में निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जाएगा जो कि परिशिष्ट 2 में संलग्न है।

7. <u>दावा आपत्ति-</u>

7.1 किसान गिरदावरी में दर्ज भूमि एवं बोई गई फसल से संतुष्ट न होने पर किसान के पंजीयन के पूर्व किसान द्वारा भूमि एवं बोई गई फसल में संशोधन हेतु गिरदावरी में दावा आपत्ति उपार्जन कार्य प्रारंभ होने के पूर्व करना होगी।

7.2 दावा आपत्ति का निराकरण होने एवं ई उपार्जन पोर्टल पर किसान की संशोधित जानकारी आने पर पंजीयन किया जा सकेगा।

8. <u>प्रचार, प्रसार, कर्मचारियों की भूमिका का निर्धारण, उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण-</u>

8.1 पंजीयन में कठिनाईयां एवं बाधाऐं न्यून करने के उद्देश्य से व्यवस्था का व्यापक प्रचार, प्रसार ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत एवं कोटवार आदि के माध्यम से कराया जाए।

8.2 किसानों के मध्य विशेष रूप से निम्न जानकारी उपलब्ध कराई जाए

i. पंजीयन के साधनों से किसानो को अवगत कराया जाए;

ii. पंजीयन गिरदावरी डाटाबेस के आधार पर किया जाएगा, इसके लिए गिरदावरी में किसान की सही फसल एवं रकबे की प्रविष्टियां सही कराई जाएं, आपत्ति होने पर संबंधित पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक को राजस्व विभाग की प्रकिया से अवगत कराया जाए;

iii. पंजीयन में सही बैंक खाता एवं IFSC होने की पुष्टि भी कृषक से कराई जाए;

iv. समिति स्तर पर नियोजित आपरेटर द्वारा किसानों को मोबाईल एप से पंजीयन की प्रक्रिया से अवगत कराया जाए।

8.3 प्रचार, प्रसार हेतु प्रत्येक स्तर से की जाने वाली कार्यवाही निम्नानुसार है:-

i. रेडियो एवं प्रिन्ट मीडिया पर विज्ञापन आदि;

ii. विगत रबी एवं खरीफ के पंजीयन में जिन किसानों के मोबाइल नंबर उपलब्ध हों, उन्हें SMS से सूचित करना;

iii. ग्राम में डोडी पिटवाकर तथा ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर पंजीयन सूचना प्रदर्शित कराना;

iv. पंजीयन समिति, कृषि उपज मंडी स्तर पर किसानों को सूचना देने के लिये बैनर, पोस्टर, ब्रोशर आदि से सूचित करना।

8.4 व्यवस्थित पंजीयन हेतु सभी पंजीयन केन्द्रों पर प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण किया जाए

i. राज्य स्तर पर सम्बद्ध विभागों का उन्मुखीकरण एवं State Resource Person का प्रशिक्षण;

ii. संभाग स्तर पर State Resource Person एवं संचालक, खाद्य के प्रतिनिधि की सहायता से प्रत्येक जिले के अधिकारियों का उन्मुखीकरण तथा जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण;

Scanned by CamScanner

iii. जिला एवं तहसील स्तरीय अधिकारियों का उन्मुखीकरण; तथा

iv. पंजीयन समिति, पंचायत, सम्बद्ध विभागों के तहसील स्तरीय अधिकारियों का उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण।

8.5 प्रत्येक स्तर पर पंजीयन कार्य के सघन पर्यवेक्षण की व्यवस्था निम्नानुसार बनाई जाए

i. जिला स्तर से पंजीयन केन्द्रों पर उपलब्ध व्यवस्थाओं का सत्यापन एवं पंजीयन केन्द्रों पर कर्मचारियों (राजस्व, खाद्य, सहकारिता, कषि) की पर्यवेक्षण हेतु ड्यूटी लगाई जाए;

ii. पंजीयन व्यवस्थाओं की समीक्षा हेतु राज्य एवं जिला स्तरी पर रबी विपणन मौसम की राज्य एवं जिला स्तरीय समितियां उत्तरदायी होगी;

iii. राज्य स्तर से आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय भ्रमण हेतु अधिकारी भेजे जाएंगे।

9. <u>वित्तीय व्यवस्था-</u>

9.1 धान एवं मोटा अनाज के पंजीयन हेतु निर्धारित आवर्ती व्यय (Recurring Expenses) भारत शासन की प्रावधानिक लागत मद से प्रबंध संचालक, MPSCSC द्वारा निर्धारित Norms अनुसार वित्तीय व्यवस्था की जाएगी तथा इसके निर्देश जारी किए जाएंगे।

9.2 प्रत्येक पंजीयन केन्द्र पर नियोजित एक डाटा एन्ट्री आपरेटर का मानदेय की राशि राज्य उपार्जन एजेन्सी MPSCSC के प्रशासनिक मद से विकलनीय होगी।

9.3 पंजीयन के उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण हेतु प्रबंध संचालक MPSCSC द्वारा मापदण्ड एवं दरें तय की जाएगी तथा उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था बनाते हुए मापदण्ड अनुसार भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

10. <u>पंजीयन में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए निम्न व्यवस्था बनाई जाएगी-</u>

i. जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा तकनीकी सेल का गठन किया जाएगा जिसमें जिला सूचना अधिकारी NIC एवं जिला ई गर्वनेंस को सम्मिलित किया जाएगा। इनके द्वारा जिला स्तर पर पंजीयन में आने वाली तकनीकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा;

ii. राज्य स्तर पर भी संचालक, खाद्य द्वारा तकनीकी सेल का गठन किया जाए, जो कि समस्त तकनीकी Trouble Shooting के लिए उत्तरदायी होगा;

iii. NIC द्वारा एक Technical Help Desk मय online ticketing व्यवस्था, समस्या दर्ज कराने एवं निराकरण के लिए की जाएगी।

iv. पंजीयन संबंधी शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा CM Helpline Portal पर उपलब्ध रहेगी, इसकी सघन मॉनीटरिंग सभी स्तरों पर की जाएगी।

v. जिला स्तरीय समिति, पंजीयन संबंधी समस्त विवादों का अंतिम निराकरण करेगी। सभी कलेक्टर अपने जिले में पंजीयन संबंधी सभी विषयों के निराकरण हेतु एक वरिष्ठ अधिकारी को (अपर कलेक्टर अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्तर के अधिकारी) "single point of contact" के रूप में नियुक्त करेंगे, जो कि राज्य स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों से सीधे सम्पर्क में रहेगा।

vi. पंजीयन कार्य सतत् रूप से बिना बाधा के चले इस हेतु राज्य स्तरीय कन्ट्रोल रूम खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल में निम्नानुसार स्थापित किया जायेगाः-

- ✓ कन्ट्रोल रूम का दूरभाष क्रमांक 0755-2551471 है;
- ✓ यह दिनांक 16 सितम्बर से 16 अक्टूबर, 2019 तक प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक चालू रहेगा;
- ✓ यह पंजीयन समितियों एवं जिला स्तर पर आने वाली समस्याओं का निदान करेगा;
- ✓ ऐसी समस्या जिसके समाधान हेतु शासन स्तर पर कलेक्टर हस्तक्षेप आवश्यक समझे, उनके बारे में प्रतिवेदन संचालनालय खाद्य में स्थापित नियंत्रण कक्ष एवं dirfood@mp.nic.in पर e-mail पर भेजा जा सकता है।

Scanned by CamScanner

vii. खरीफ विपणन मौसम में किसान पंजीयन एवं उपार्जन में तकनीकी समस्याओं का समाधान पृथक से Technical help desk पर किया जाएगा।

11. प्रदेश के कृषकों द्वारा पंजीयन से संबंधित समस्याएं राज्य सरकार के टोल फ्री नम्बर CM Helpline 181 पर दर्ज की जा सकेंगी। हेल्पलाईन (काल सेन्टर) से प्राप्त होने वाली शिकायत एवं समस्याओं के निराकरण का दायित्व जिला आपूर्ति नियंत्रक एवं अधिकारी का होगा। इस व्यवस्था का भी व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए।

12. समस्त ऐसी समस्याएँ जिनका समाधान निर्धारित नीति/निर्देशों में प्रावधानित नहीं है, उन्हें संचालक, खाद्य द्वारा प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से अनुमोदन उपरांत समाधान किया जाएगा।

6/9/2019

(बी.के. चन्देल)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पृ. क्रमांक एफ 5-5(1-1ख)/2019/29-1 भोपाल, दिनांक 06 सितम्बर, 2019

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी म0प्र0 शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग।
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग।
7. आयुक्त, मंडी बोर्ड।
8. आयुक्त, भू-अभिलेख, ग्वालियर, म0प्र0।
9. आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश।
10. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट वेयरहाऊसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन, भोपाल।
11. संचालक, खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, भोपाल।
12. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य विपणन संघ मर्यादित, (मार्कफेड) भोपाल।
13. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन, भोपाल।
14. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक), मध्यप्रदेश।
15. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
16. राज्य सूचना अधिकारी NIC भोपाल।
17. श्री अब्राहम वर्गीस, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, NIC भोपाल।
18. समस्त जिला आपूर्ति नियंत्रक/अधिकारी, मध्यप्रदेश।

6/9/2019
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट- 01

खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में उत्पादित फसलों के पंजीयन की समय-सीमा

क्र.	गतिविधियां	विवरण	उत्तरदायित्व	प्रस्तावित तिथि
1.	पंजीयन केन्द्रो का निर्धारण	पंजीयन केन्द्रों का अनुमोदन	कलेक्टर- डीएसओ	9 सितम्बर 2019
		पंजीयन केन्द्रों के संचालन हेतु समितियों की अद्यतन जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना	कलेक्टर-उपायुक्त सहकारिता	11 सितम्बर, 2019
2	भौतिक एवं मानव संसाधन की उपलब्धता	जिला - Technical Support Group का गठन	कलेक्टर - डीएसओ	9 सितम्बर,2019
		पंजीयन केन्द्र पर मैदानी अमले की तिथीवार ड्यूटी लगाना	कलेक्टर- डीएसओ	11 सितम्बर, 2019
		पंजीयन समिति स्तर पर आपरेटर्स का नियोजन	कलेक्टर-उपायुक्त सहकारिता/ GMCCB के माध्यम से पंजीयन समिति द्वारा	11 सितम्बर, 2019
		डाटा इंट्री आपरेटर एवं समिति प्रबंधक का पंजीयन साफ्टवेयर प्रशिक्षण एवं पंजीयन साफ्टवेयर को लैपटॉप पर अपलोड करना।	कलेक्टर,DIO NIC	13 सितम्बर, 2019
		पंजीयन केन्द्र पर बैनर की उपलब्धता	कलेक्टर,जिला प्रबंधक,MPSCSC	11 सितम्बर, 2019
		पंजीयन केन्द्र पर भौतिक संसाधन की उपलब्धता का सत्यापन	कलेक्टर- अनुविभागीय अधिकारी	14 सितम्बर, 2019
		निर्धारित ग्रामवार तिथियों के दिन मैदानी अमले को पंजीयन केन्द्र पर उपस्थिति के लिए पाबंद करना	कलेक्टर- अनुविभागीय अधिकारी	14 सितम्बर, 2019
3	गिरदावरी का सत्यापन	गिरदावरी में दर्ज फसल एवं उसके रकबे का रेण्डम आधार पर सत्यापन	कलेक्टर- अनुविभागीय अधिकारी	9 से 14 सितम्बर 2019
		रेण्डम आधार पर सत्यापन रिपोर्ट विभाग को प्रेषित करना	कलेक्टर	16 सितम्बर 2019
4	प्रचार-प्रसार	प्रिन्ट मीडिया में पंजीयन प्रारंभ का विज्ञापन जारी करना	MD,MPSCSC	16 सितम्बर, 2019 से
		रेडियों एवं प्रिन्ट मीडिया पर प्रचार प्रसार	संचालक, खाद्य	16 सितम्बर, 2019 से
		कृषकों को SMS द्वारा पंजीयन के लिए निर्धारित तिथि को आंमत्रित करना।	संचालक, खाद्य	13 सितम्बर, 2019 से
		ग्राम पंचायत स्तर पर डोंडी पिटवा कर तथा ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर कृषकों की पंजीयन तिथी प्रकाशित करना	कलेक्टर- अनुविभागीय अधिकारी	15 सितम्बर, 2019 से
		समिति स्तर पर कृषकों को सूचना देने के लिए बैनर, ब्रोशर एवं दूरभाष द्वारा	कलेक्टर - सहायक/ उपायुक्त सहकारिता	12 सितम्बर, 2019 से
		मण्डी स्तर पर कृषकों को सूचना देने के लिए बैनर, ब्रोशर एवं दूरभाष द्वारा	कलेक्टर - उपसंचालक कृषि	12 सितम्बर, 2019 से
5	उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण	खाद्य विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों का उन्मुखीकरण वीडियों कान्फ्रेस के माध्यम से	संचालक, खाद्य	11 सितम्बर, 2019
		राज्य स्तर पर संबद्ध विभागों का उन्मुखीकरण	प्रमुख सचिव, खाद्य	14 सितम्बर, 2019
		State Resource Person प्रशिक्षण,	संचालक, खाद्य वीडियों कान्फ्रेस	14 सितम्बर, 2019
		जिला स्तरीय मास्टर्स ट्रेनर्स का प्रशिक्षण	MPSCSC	14 सितम्बर, 2019
		संभाग स्तर पर State Resource Person एवं संचालक खाद्य के प्रतिनिधी की सहायता से प्रत्येक जिले के अधिकारियों का उन्मुखीकरण	संभागायुक्त	12 सितम्बर, 2019
		तहसील स्तरीय अधिकारियों का जिले पर उन्मुखीकरण	जिला कलेक्टर -राज्य स्तरीय रिसोर्स पर्सन	13 सितम्बर, 2019
		डाटा इंट्री आपरेटर एवं समिति प्रबंधक का पंजीयन साफ्टवेयर प्रशिक्षण एवं पंजीयन साफ्टवेयर को लैपटॉप पर अपलोड करना- जिला स्तर पर	कलेक्टर- DIO NIC	14 सितम्बर, 2019
		जिला अधिकारियों का द्वितीय उन्मुखीकरण (वीडियो कांफ्रेसिंग) - डीआईओ, डीएसओ, डीएमओ, डीएम MPSCSC, उप संचालक कृषि, महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं मास्टर ट्रेनर	संचालक, खाद्य एवं SIO, NIC	18 सितम्बर, 2019
		पंजीयन समिति, पंचायत, संबद्ध विभागों के तहसील स्तरीय अधिकारियों का उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण,	जिला कलेक्टर- अनुविभागीय अधिकारी	13 सितम्बर, 2019
6.	पंजीयन एवं सत्यापन	किसान पंजीयन	कलेक्टर - पंजीयन समिति	16 सितम्बर से 16 अक्टूबर, 2019 तक
		वनाधिकार पट्टाधारियों का सत्यापन	वन विभाग एवं MPSCSC	17 से 22 अक्टूबर, 2019 तक
		किसान पंजीयन की सूचना एवं पावती उपलब्ध कराना	कलेक्टर- पंजीयन समिति	16 सितम्बर से 16 अक्टूबर, 2019 तक

Scanned by CamScanner

"परिशिष्ट-2"

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय

घ ब्लाक, प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन,
भोपाल – 462004 मध्यप्रदेश

क्रमांक 2046

भोपाल, दिनांक 11-3-19

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषय- समर्थन मूल्य योजना का लाभ हेतु पंजीकृत वनाधिकार पट्टाधारियों के सत्यापन वावत्।
संदर्भ- विभाग के परिपत्र क्र. 5-15(1-1क-2019)/2018/29-1 दिनांक 14.01.2019

- - - - -

रबी विपणन मौसम, 2019-20 में खाद्यान्न उपार्जन हेतु जारी नीति की कंडिका-5.1(iii) के अनुसार वनाधिकार पट्टाधारियों को समर्थन मूल्य योजना का लाभ देने हेतु पृथक से ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन कराया गया है। जिलेवार पंजीकृत वनाधिकार पट्टाधारियों की जानकारी परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। पंजीयन में पट्टाधारियों के नाम एवं भूमि के रकबे की जानकारी वन विभाग एवं विगत खरीफ के पंजीयन डेटा से ली गई है, जिन पट्टाधारियों का विवरण डेटाबेस में उपलब्ध नहीं था, उनके भूमि के रकबे की जानकारी पट्टाधारी के प्रमाण-पत्र के आधार पर दर्ज की गई है तथा फसल पट्टाधारियों द्वारा आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर पोर्टल पर दर्ज की गई है।

समर्थन मूल्य पर रबी फसलों के उपार्जन हेतु किसान द्वारा बोई गई फसल एवं रकबे की जानकारी गिरदावरी से ली गई है। किन्तु, वनाधिकार पट्टाधारियों की भूमि एवं फसल आदि का विवरण गिरदावरी के डेटाबेस में न होने के कारण गिरदावरी से फसल एवं रकबे का सत्यापन किया जाना सम्भव नहीं है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में, वन पट्टाधारियों के पंजीयन में दर्ज रकबा एवं फसल के सत्यापन हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

1. जिला प्रबंधक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन द्वारा सभी वनाधिकार पट्टेधारियों का पंजीयन में दर्ज विवरण यथा- नाम, पता, पट्टा क्रमांक, रकबा, बोयी गई फसल आदि के विवरण ई-उपार्जन पोर्टल से प्रिन्ट निकालकर SDO वन को उपलब्ध कराया जाएगा।
2. SDO वन द्वारा पट्टाधारियों के विवरण का प्रिन्ट रेंज आफिसर को सत्यापन हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। रेंज आफिसर द्वारा मौके पर पट्टेधारी की भूमि के रकबे एवं फसल का सत्यापन किया जाएगा।
3. सत्यापन में पाई गई स्थिति को पट्टाधारियों के पंजीयन में उल्लेखित विवरण से मिलान किया जाएगा, जिसमें निम्न स्थिति हो सकती है :-
   - A पंजीयन में दर्ज एवं मौके पर बोई गई फसल एवं रकबा एक समान पाया गया।
   - B पंजीयन में रकबा कम पाया गया तथा मौके पर अधिक रकबा तथा फसल के प्रकार में कोई भिन्नता नहीं पाई गई।
   - C मौके पर रकबा पंजीयन से कम एवं फसल में भिन्नता पाई गई।

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

4. उक्तानुसार स्थिति के बिन्दु A एवं B में उल्लेखित रकबा एवं फसल का विवरण यथावत रखते हुए सत्यापित टीप पट्टेधारी के नाम के समक्ष अंकित कर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
5. बिन्दु C की स्थिति में प्रिन्ट-आउट में पट्टेधारी के रकबे एवं फसल का सही इन्द्राज लाल पेन से किया जाए तथा संशोधन किया गया कि टीप अंकित कर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
6. किसी भी दशा में पट्टा प्रमाण-पत्र में उल्लेखित रकबे से अधिक रकबे का पंजीयन/संशोधन मान्य नहीं होगा।
7. उक्तानुसार रेंज आफिसर द्वारा पट्टाधारियों के रकबे एवं फसल का सत्यापन किया जाकर प्रतिवेदन SDO वन को प्रेषित किया जाएगा।
8. SDO वन द्वारा रेण्डम आधार पर 2% पट्टाधारियों के रकबे एवं फसल का पुनः सत्यापन किया जाएगा।
9. पट्टाधारियों के सत्यापन उपरांत SDO वन द्वारा प्रतिवेदन वन मण्डलाधिकारी के माध्यम से जिला प्रबंधक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन को उपलब्ध कराया जाएगा।
10. जिला प्रबंधक मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन द्वारा अपने लॉगिन में वनाधिकार पट्टाधारियों की रकबा एवं फसल की संशोधित जानकारी ई-उपार्जन पोर्टल पर दर्ज की जाएगी।
11. पट्टाधारियों के रकबे एवं फसल के सत्यापन उपरांत पट्टाधारियों को SMS के माध्यम से सूचना दी जाएगी। यह जानकारी ई-उपार्जन पोर्टल एवं पंजीयन केन्द्र पर उपलब्ध कराई जाएगी।
12. रेंज आफिसर द्वारा किये गये सत्यापन से पट्टाधारी संतुष्ट न होने पर SDO वन को अपील कर सकेगा। SDO वन द्वारा अपील आवेदनों की पुनः जांचकर पाई गई वस्तुस्थिति से वन मण्डलाधिकारी के माध्यम से जिला प्रबंधक मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन को अवगत कराया जाएगा।

उक्तानुसार कार्यवाही संलग्न परिशिष्ट-ब अनुसार उल्लेखित समय-सीमा में पूर्ण कराई जाएं।

संलग्न- उक्तानुसार।

11/03/19

(श्रीमन् शुक्ला)
संचालक
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,
मध्यप्रदेश.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

पृ.क्रमांक 2047/उपार्जन/2019 भोपाल, दिनांक 11 मार्च, 2019

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निज सहायक, माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।
2. अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मध्यप्रदेश ।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।
4. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश ।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश ।
6. आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश ।
7. आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं भोपाल।
8. प्रबंध संचालक, राज्य विपणन संघ मर्यादित, भोपाल।
9. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन, भोपाल।
10. समस्त वन मंडलाधिकारी, मध्यप्रदेश ।
11. श्री अब्राहम वर्गीस, तकनीकी निदेशक, NIC भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि वन पट्टाधारियों की जानकारी सत्यापन हेतु पोर्टल प्रिन्टे निकालने एवं DM, MPSCSC के लॉगिन में सत्यापन की सुविधा उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. समस्त जिला आपूर्ति नियंत्रक/अधिकारी, मध्यप्रदेश।

संचालक,
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,
मध्यप्रदेश.

Scanned by CamScanner